

## आंकड़ा का अर्थशास्त्र

पिछले दिनों प्रतिष्ठित दैनिक अखबार "पत्रिका" के बारह अगस्त दो हजार तेरह क जबलपुर संस्करण में मोटे-मोटे अक्षरों से शीर्षक देकर समाचार छपा।

### "आर्थिक तंगी से एक तिहाई तनावग्रस्त डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट, भारत में सबसे

**ज्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार:**—दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में सबसे ज्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। देश की आबादी में 36 फोसदी लोग ऐसे हैं, जो गंभीर डिप्रेशन के मरीज बन चुके हैं। इनकी इस हालत के लिए वर्तमान जटिल परिस्थितियाँ जैसे महंगाई, आर्थिक तंगी, हिंसा, और सामाजिक समस्याएँ जिम्मेदार हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की हाल में जारी हुई एक सर्वेक्षण रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट बताती है कि डिप्रेशन ऐसी बيمारी है, जो आत्महत्या का कारण बनती है। एक अनुमान के अनुसार डिप्रेशन के 15 प्रतिशत रोगी आत्महत्या कर लेते हैं।

रिपोर्ट बताती है कि केवल वयस्क ही नहीं, बल्कि बच्चे भी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और स्कूल जाने वाले बच्चों में डिप्रेशन का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि बच्चों में आत्महत्या की घटना पहले से बढ़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 18 देशों में करीब 90 हजार लोगों पर किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि भारत में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के मरीज हैं।

संगठन के आँकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में 12.10 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। जिसमें से 8.5 लाख लोग अपनी जान तक दे देते हैं। भारत में मध्यम आयु से ही लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। यहाँ डिप्रेशन के शिकार लोगों की औसत उम्र 32 साल के आसपास है। भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में डिप्रेशन का प्रकोप दुगुना है। भारत में आज डिप्रेशन दसवीं सबसे सामान्य बीमारी है। रिपोर्ट में आशंका व्यक्त की गई है कि आने वाले समय में विकासशील देशों में डिप्रेशन विकलांगता का प्रमुख कारण बनने जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि सन् 2010 तक हमारे देश में डिप्रेशन दूसरी सबसे आम बीमारी हो जाएगी।"

पिछले दिनों प्रतिदिन न्यूज चैनल ए टू जेड में शुक्रवार को महंगाई विषय पर आयोजित एक वैचारिक बहस के अन्तर्गत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री एस.के. दत्त ने जोर देकर कहा कि प्रत्येक दस वर्षों में आम नागरिकों की आय तो दो गुनी से भी कम ही बढ़ पाती है जबकि आम उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य दस वर्षों में दस गुने तक बढ़ जाते हैं। पनल की बहस में मेरे द्वारा प्रतिवाद करने पर उन्होंने प्रमाण दिया कि आर.बी.आई की रिपोर्ट अनुसार भारत में पिछले पैंसठ वर्षों में खाद्यान्न वस्तुओं के मूल्य चार सौ गुने से भी ज्यादा बढ़ गये हैं। बहस और बढ़ी तो उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है जिसे आप असत्य नहीं कह सकते तथा मैं यह बात लम्बे समय से बोलता हूँ परन्तु किसी ने प्रतिवाद नहीं किया।

इसी चैनल पर महिलाओं के अधिकार विषय पर बोलते हुए मैंने कहा कि भारत में कुल मिलाकर आठ दस लाख ही महिलाएँ हैं। शेष तो किसी न किसी परिवार की सदस्य होने से वे माँ बहन बेटा पत्नी तो हो सकती हैं किन्तु महिला नहीं हो सकती क्योंकि परिवार में सम्मिलित होने के बाद उसके प्रत्येक सदस्य के मौलिक अधिकार ही व्यक्तिगत होते हैं। अन्य सभी सामाजिक तथा संवैधानिक अधिकार तो परिवार में विलीन होने के कारण सामूहिक हो जाते हैं, पृथक-पृथक रहते ही नहीं। बहस में अन्य प्रतिभागियों के प्रतिवाद पर मैंने स्पष्ट किया कि किसी भी मौलिक अधिकार में कहीं भी महिला पुरुष का भेद नहीं है। वह तो प्रत्येक व्यक्ति के लिये समान होता है। फिर भी मेरे कथन का भरपूर विरोध हुआ, किन्तु कोई अलग से आंकड़ा पेश नहीं किया गया कि मेरे आंकड़े गलत हैं।

हम इन तीनों आंकड़ों की समीक्षा करें। पहले आँकड़े में डब्ल्यू एच ओ का हवाला दिया गया है। मुझे पता नहीं कि यह वास्तव में ऐसी ही गलत रिपोर्ट है या प्रस्तुत कर्ता की भूल है। इसी रिपोर्ट का दूसरा भाग कहता है कि पूरी दुनिया में कुल मिलाकर बारह करोड़ दस लाख लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। अब यदि हम भारत की ही कुल आबादी को एक सौ बीस करोड़ माने तो अकेले भारत में ही पैंतीस प्रतिशत या एक तिहाई के अनुसार चालीस बयालीस करोड़ डिप्रेशन के मरज होने चाहिए जबकि उनकी सम्पूर्ण विश्व की संख्या ही बारह करोड़ है। आंकड़ों में कहीं भूल है यह पता नहीं किन्तु भूल तो हुई है अवश्य।

इसी समाचार में यह निष्कर्ष भी निकाला गया है कि डिप्रेशन के लिये महंगाई, आर्थिक तंगी, हिंसा, और सामाजिक समस्याएँ जिम्मेदार हैं। यह पूरी की पूरी बात पूरी तरह असत्य है। डिप्रेशन से इनका कोई संबंध नहीं क्योंकि महंगाई और आर्थिक तंगी तो हैं ही नहीं। हिंसा का वातावरण डिप्रेशन पैदा नहीं करता। सामाजिक समस्याएँ भी बहुत घटी हैं। फिर भी पता नहीं क्यों ऐसी असत्य बातें निष्कर्ष

के तौरपर पूरे देश में फैलायी जा रही है। यदि ये बातें किसी विश्व व्यापी संगठन ने भी कही हैं तो असत्य तो हमेशा असत्य ही होगा। भले ही उसे भगवान भी क्यों न कहे। इसी समाचार में आगे लिखा है कि डिप्रेशन के कुल रोगियों में से करीब पंद्रह प्रतिशत तक आत्महत्या कर लेते हैं। अब समाचार के अगले भाग से जोड़े तो पूरी दुनिया में बारह करोड़ मरीज हैं जिनमें से पंद्रह प्रतिशत आत्महत्या कर लेते हैं। तो प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में एक करोड़ अस्सी लाख डिप्रेशन रोगी आत्महत्या करते हैं। दूसरी ओर कुल मरने वालों की संख्या ही साढ़े आठ लाख है जिन्होंने आत्महत्या की। समझ में नहीं आता कि इन आँकड़ों में भूल कहाँ है। मैंने सुना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मौसम विभाग के अध्यक्ष के रूप में एक भारतीय विद्वान श्री पचोरी जी थे। उन्होंने दशमलव की भूल के कारण मौसम संबंधी जो आँकड़े प्रकाशित किये वे यथार्थ के बिल्कुल विपरीत थे। फिर भी वे आँकड़े कुछ वर्ष तक चलते रहे। धीरे-धीरे भेद खुला। उक्त भारतीय अध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा चलाने तक की बात आई किन्तु भारत ने जोर देकर इसे मानवीय भूल तक सोमित किया और हार थक कर कार्यवाही भूल में बदलनी पड़ी। आश्चर्य तो यह है कि एक व्यक्ति की ऐसी भूल बिना प्रति परीक्षण के संयुक्त राष्ट्र जैसी विश्वसनीय संस्था द्वारा मान्य कैसे हुई। उसी तरह यह भी विचारणीय है कि किसी विश्वसनीय समाचार पत्र द्वारा ऐसे त्रुटिपूर्ण आँकड़े बिना परीक्षण के प्रकाशित ही कैसे हो गये। क्योंकि ऐसे आँकड़े दूर-दूर तक प्रमाण स्वरूप काम आते हैं। भले ही वह विश्व संगठनों अथवा रिजर्व बैंक के समान विश्वसनीय न हो किन्तु अन्य सामान्य सूचना माध्यमों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय तो है ही।

हम दत्त जी के महँगाई संबंधी आँकड़ों की समीक्षा करें। दत्त जी द्वारा महँगाई संबंधी दिये गये आँकड़े पूरी तरह असत्य हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद से अब तक लगभग पचहत्तर गुनी ही मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है जिसका सीधा सा अर्थ है कि कुल औसत मूल्य वृद्धि पचहत्तर गुने के आसपास ही संभव है। कोई एक वस्तु तो इससे कम या ज्यादा भी महँगी हो सकती है किन्तु वह औसत नहीं होने से हम उसे कुल महँगाई शब्द के साथ जोड़ सकते। जैसे भारत में डीजल, पेट्रोल, बिजली समूह करीब एक सौ पचास गुना महँगा हुआ है। अंडा मांस भी सा से अधिक गुना बढ़ा है किन्तु सब प्रकार के अनाजों की मूल्य वृद्धि चालीस गुना के करीब ही है। दूध और शक्कर भी पचास से पचपन गुना के पास ही है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रेडियों, घड़ी, फाउन्टेन पेन, अखबार आदि तो शायद बढ़े ही नहीं। सबका औसत है पचहत्तर। ऐसा लगता है कि हमारे विद्वान अर्थशास्त्री दत्त जी ने या तो शून्य संबंधी भूल से चालीस को चार सौ पढ़ लिया अथवा आर.बी.आई.के आँकड़े में ही शून्य संबंधी कोई भूल हुई होगी। वैसे ज्यादा संभावना आर.बी.आई.के आँकड़े छपने में ही दिखती है क्योंकि जिस तरह महँगाई घटने के बाद भी सभी विद्वान एक स्वर से महँगाई का होना स्वीकार और प्रचार करते हैं उससे लगता है कि सब लोग तो ऐसी भूल नहीं किये होंगे।

वहाँ दत्त जी ने यह भी बताया कि भारत के औसत व्यक्ति की दैनिक आय भी अधिकतम स्वतंत्रता के बाद सौ गुना ही बढ़ पाई है। सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। भारत के चालीस करोड़ नीचे के लोगों की औसत आय लगभग डेढ़ सौ गुनी बढ़ी है। चालीस करोड़ मध्यम वर्ग की छः सा गुनी तथा उच्च वर्ग की पाँच हजार गुनी बढ़ी है। पता नहीं दत्त जी सरीखे विद्वानों का औसत सौ गुना बताने का आशय क्या है तथा उनका आधार क्या है।

किसी वस्तु के विनिमय का आधार कोई स्थिर वस्तु ही होती है। स्वयं चलायमान वस्तु मूल्यांकन का आधार नहीं हो सकती। पुराने जमाने में विनिमय का आधार स्वर्ण मुद्रा थी। स्वतंत्रता के समय चाँदी का सिक्का था। बाद में न्यूनतम श्रम मूल्य से गणना की जाने लगी। बाद में गेहूँ को आधार मानने का प्रयास हुआ। वर्तमान में महँगाई या महंगी को मापने का आधार मूल रुपया है जो इस वर्ष पचहत्तर रुपये के करीब समतुल्य है। मूल रुपये का यह मूल्य मुद्रा स्फीति को जोड़कर प्रतिवर्ष पुनः निर्धारित होता रहता है। एक वर्ष बाद यह मूल्य अपने आप अस्सी के करीब हो सकता है। इस मूल रुपये को ही आधार मानकर आकलन करना चाहिये। न कि प्रचलित रुपये को। यदि प्रचलित रुपये को आधार मानने की भूल दत्त जी या उनके समकक्ष अर्थशास्त्री करते रहेंगे तो उन्हें मेरे जैसे जमीन से जुड़े अर्थशास्त्री से भेट होने पर हमेशा ही संकट झेलने पड़ सकते हैं।

बहस में मेरी बाईं ओर दत्त जी तथा दाईं ओर अनुज जी थे। मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि पचास वर्ष पहले सरगुजा जिले में खेतिहर मजदूर को एक दिन के श्रम के बदले एक से डेढ़ किलो अनाज मिलता था जो आज बढ़कर प्रतिदिन छः से आठ किलो तक पहुँच गया है। अनाज सस्ता हुआ या महँगा? इस प्रश्न को दो तीन बार उठाने के बाद भी किसी विद्वान ने इसका उत्तर देना ठीक नहीं समझा। इसके विपरीत दत्त जी ने यह कह कर मेरी खिल्ली उड़ानी चाही कि लगता है कि आप एकाएक मंगल ग्रह से उतर कर आये हों। आँकड़ों की चर्चा में और वह भी आर्थिक विषय पर कटाक्ष का उपयोग अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी मेरा उत्तर यही था कि मैं चाहे जिस ग्रह से आया हूँ किन्तु मुझे तो श्रम और अनाज के बीच संतुलन का उत्तर चाहिए। यदि हो तो बताइए नहीं तो मेरे निवास की जानकारी का मेरे प्रश्न से कोई संबंध नहीं।

अन्त में मैंने इस विषय पर परस्ताव रखा कि भारत में आर्थिक विषमता बढ़ी है। चालीस करोड़ की आबादी चींटी की चाल से आगे बढ़ रही है। चालीस करोड़ मध्यम वर्ग साइकिल की गति से बढ़ रहा है तथा चालीस करोड़ उच्च वर्ग हवाई जहाज की गति से। आग तो सभी बढ़ रहे हैं किन्तु निम्न मध्यम उच्च वर्ग के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। इस बढ़ती असमानता को ही भ्रमवश महंगाई कहने की प्रथा चल पड़ी है जिसे ठीक करना चाहिये। अनुज जी तो सहमत ही थे किन्तु दत्त जी इस भावना से सहमत थे, किन्तु 'शब्दों से नहीं। फिर भी यदि इस विषय पर किसी विद्वान का कोई विचार आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे।

ए टू जेड में ही महिलाओं संबंधी एक भिन्न पनल में बैठकर मैंने महिलाओं की संख्या आठ दस लाख तक बताई तो अन्य पैनलिस्ट उछल पड़े और 'शब्द वापस लेने का दबाव बनाने लगे। मैंने कई बार उन्हें बताया कि परिवार एक संगठन है जिसमें 'शामिल होते ही पूरा परिवार एक नई इकाई का रूप ग्रहण कर लेता है। परिवार का कोई सदस्य न महिला होता है न पुरुष। किसी सदस्य को अलग से न कोई सामाजिक अधिकार होते हैं न संवैधानिक। सारे अधिकार परिवार के सामूहिक होते हैं जो हर स्थिति में प्रत्येक सदस्य के बीच समान होते हैं। दुर्भाग्य से परिवार व्यवस्था के विकृत हो जाने के कारण यह असमानता हुई जो आसानी से सुधर सकती है। परिवार का कोई सदस्य बिना परिवार की सहमति, अनुमति या स्वीकृति के किसी प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकता। वह असहमत हो तो कभी भी परिवार छोड़ सकता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिये यह अनुशासन बंधनकारी होता है।

इसी तरह परिवार की सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य की समान हिस्सेदारी होती है। परिवार का कोई सदस्य परिवार में रहते हुए पृथक सम्पत्ति नहीं रख सकता। स्वतंत्रता के तत्काल बाद नेहरु और अम्बेडकर की गलतियों के कारण परिवार की आंतरिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हुई। परिवार में व्यक्तिगत सम्पत्ति के स्वामित्व को संवैधानिक कर देने के दुष्प्रभाव रूप में यह पारिवारिक विकृति आई है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को परिवार में रहते हुए समान आर्थिक सामाजिक संवैधानिक अधिकार देने के बाद किसी को किसी भी मामले में विशेष अधिकार क्यों चाहिये? चाहे वह महिला हो या पुरुष या कोई अन्य। समान अधिकार में परिवार का कोई सदस्य छेड़छाड़ करे तो आप न्यायालय द्वारा समान अधिकार भी ले सकते हैं तथा परिवार छोड़ भी सकते हैं। परिवार छोड़ने में अनेक प्रकार की रुकावटें डालने का कानून को क्या अधिकार है? परिवार के प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार न देकर विशेष अधिकार देने की कोशिश की क्या आवश्यकता है? यदि परिवार के प्रत्येक सदस्य को पारिवारिक सम्पत्ति तथा परिवार की अपनी आंतरिक व्यवस्था के संचालन में समान सहभागिता की गारंटी दे दी जाये तो विशेष अधिकार की माँग अपने आप दब जायेगी या ऐसी माँग करने वाले अलग-थलग पड़ जायेंगे। समाज की दस बारह लाख अनुशासनहीन परिवार विहीन महिलाएँ जोर-शोर से स्वयं ही पचास साठ करोड़ महिलाओं का प्रतिनिधि होने का दावा करती हैं जबकि ऐसी परिवार विहीन महिलाओं को सामान्य तथा पारिवारिक महिलाओं में अधिक सम्मान से नहीं देखा जाता। ऐसी महिलाएँ कुछ मुठी भर अन्य महिलाओं को बहला फसलाकर उन्हें आंदोलन में जोड़ लेती हैं और नेता लोग उन्हें ही अपनी सुविधानुसार महिलाओं का प्रतिनिधि घोषित करने लगते हैं। इस दुखद राजनैतिक वातावरण से मुक्त होने की जरूरत है।

मेरे कथन का अन्य दो पैनलिस्ट तथा कुछ महिलाओं ने जोरदार प्रतिवाद किया। मैंने जब पूछा कि इन महिलाओं को पिता की सम्पत्ति में भी बराबर हक चाहिये और पति की सम्पत्ति में भी हिस्सा चाहिये। क्या यह न्याय संगत है? यदि पत्नी अलग होते समय अकेली आधा हिस्सा ले लेगी तो शेष आधे में से माँ बहन पुत्रों का भरण पोषण कैसे होगा? विवाद बढ़ता देख कर ही रामवीर सिंह जी ने सिर्फ महिलाओं के बीच मतदान कराया कि कितनी महिलाये विवाह के बाद अपने भाई और पिता को सम्पत्ति में से हिस्सा लेने का प्रावधान ठोक समझती है। सबको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सिर्फ दो ने ही ठीक के पक्ष में हाथ उठाये। अन्य सबने इस प्रावधान के विरुद्ध वोट दिया। मुझे भी परिणाम से आश्चर्य हुआ और मेरे विरोधियों के तो परिणाम के बाद मुँह ही लटक गये।

आज समाज में लगातार महंगाई, महिला अधिकार अथवा अन्य अनेक विषयों पर जोर दे देकर जो असत्य फैलाया जा रहा है उसे चुनौती देने को जरूरत है। यदि हम एक दो प्रतिशत भी प्रयास करेंगे तो अठान्णवे प्रतिशत असत्य अपने आप धराशायी हो जायेगा। अपना आत्म बल बढ़ाइये। जानकारियाँ संग्रहित करिये। चुनौती दीजिये। विजय सत्य की ही होगी।

## 1 श्री के० जी० बालकृष्ण पिल्लै, तिरुअनन्तपुरम केरल 695005

**प्रश्न:**—राजनीतिक दलों का सूचना के अधिकार के कानून के अंतर्गत न लाए जाने का प्रयास कहाँ तक लोकहित में है? राजनीतिक दल तो उस कानून से अपने को मुक्त रखना चाहेंगे। पर कुछ मानवाधिकार कर्मियों ने माँग की है कि सूचना के अधिकार कानून राजनीतिक दलों के संबंध में भी लागू किया जाए।

**उत्तर:**—भारत में आप जिन्हें राजनैतिक दल कहते हैं उनमें से माया, मुलायम, लालू, पासवान, ममता बनर्जी, जयललिता आदि के दल दल न होकर एक-एक व्यक्ति की दुकाने हैं। दुकानदार से आप कितना सूचना के अधिकार की उम्मीद कर सकते हैं। कांग्रेस, भाजपा और साम्यवादी आंशिक रूप से दल है। कांग्रेस भी कहीं न कहीं परिवारवाद से उपर नहीं उठ रही। भाजपा धीरे-धीरे अपनी स्वतंत्र राजनैतिक छवि खोकर संघ परिवार के हाथों में जा रही हैं। साम्यवादियों से कुछ उम्मीद अवश्य थी किन्तु वह भी इस मामले में अपना मूल चरित्र खोकर इस मामले में अन्य दलों के साथ हो गये हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता अनेक मामलों में समाज के समक्ष समस्याएँ पैदा करते रहते हैं। विशेषकर पर्यावरण जैसे मुद्दे पर। गाँवों से 'शहरों की ओर पलायन पर्यावरणवादियों के लिये चिन्ता का विषय नहीं। किन्तु गाँवों के विकास के लिये किसी योजना से उन्हें बहुत चिन्ता होती है। किन्तु आर.टी.आई. के लिये मानवाधिकारवादियों ने अब तक जो लड़ाई लड़ी है अथवा अभी लड़ रहे हैं उसके लिये वे बर्दाई के पात्र हैं।

## 2 श्री धीरज लाल टांक, दुर्ग, छत्तीसगढ़

**प्रश्न:**— आपके द्वारा प्रेषित 27.07.2013 का अंतर्देशीय पत्र प्राप्त हुआ है। 30 एवं 31 अगस्त को नोएडा की बैठक में आपने आमंत्रित किया है, इस हेतु आभार। इन्ही दिनों भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का काम शालाओं में सम्पर्क आदि का कार्य काफी तीव्रता पर होगा अतः संभव ना हो सकेगा इस हेतु क्षमा करेंगे।

राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन और भ्रष्टाचार निवारण हेतु आपके द्वारा जो प्रयत्न किया जा रहा है, उसकी सफलता का समय अब अति निकट आ चुका है। परिवर्तन इश्वरीय इच्छा का परिणाम है। इस हेतु संतो और सज्जनों का पुरुषार्थ भी उतना ही जरूरी है। इस हेतु प्रयास चहुं ओर हो रहे हैं। यह बात युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने अपने उद्बोधनों और साहित्य के माध्यम से अनेकों बार व्यक्त किया है। उनके द्वारा 24 वर्षों की गायत्री साधना, अनेकों बार हिमालय प्रवास के दौरान अपने गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी का मार्गदर्शन एवं समस्त ऋषि संतो की सूक्ष्म चेतना से साक्षात्कार तथा उनके अभियान में सभी ऋषि संतों की भागीदारी एवं सहयोग का आश्वासन जिस तरह से मिला है। वे सारी परिस्थितियाँ युग परिवर्तन के लिए मजबूर करेंगीं। आसुरी और विध्वंसक तत्वों को मुंह की खानी पड़ेगी और सज्जनकारी शक्तियों को बल मिलेगा। अतः दैवीय वातावरण की स्थापना अवश्यंभावी है ही। उनके द्वारा भावी परिवर्तन हेतु 3200 से ज्यादा साहित्य जो श्रेष्ठतम कोटि का सिद्ध हो चुका है, उनकी इस अतिमानवीय क्षमता को दुनिया ज्यादा दिनों तक अनदेखा नहीं कर सकेगी और अब वह समय भी आ रहा है जब पूरी भीड़ उनके साहित्य और चिंतन के शोध में लग जायेगी।

उन्होंने एक बात कही थी, भावी परिवर्तन और समाज व्यवस्था हेतु हर व्यक्ति को अलग अलग खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है। जो योजना और निर्धारण हो चुके हैं, वे इस साहित्य के माध्यम से जमाने के सामने रखे जा चुके हैं और इसे ही ईश्वर और महाकाल का निर्धारण माना जाना चाहिए। संवेदनशील, भावनाशील और बुद्धिमानों को सचेत करने में साहित्य पर्याप्त है, लेकिन जो जड़ बुद्धि अडियल और कटटर पंथों हैं उन्हें परिस्थितियाँ और प्राकृतिक प्रताड़ना बदलने के लिए मजबूर करेंगीं और अब दैवीय वातावरण को आने से कोई रोक नहीं सकेगा।

तात्पर्य यह है कि जमीन और आसमान की सभी श्रवणकारी शक्तियाँ परिवर्तन के लिए उठ रही हैं। युग ऋषि के साहित्य से उद्धारित एक छोटा सा अंश इस पत्र के साथ संलग्न कर भेज रहा हूँ।

उत्तर—मृत महापुरुषों के विचार यथावत समाज के समक्ष सूचनार्थ तो रखे जा सकते हैं किन्तु पालनार्थ नहीं। हर महापुरुष देश काल, परिस्थिति अनुसार अपने विचारों में संशोधन करता रहता है जो उस महापुरुष के मरने के बाद मार्गदर्शक विचार होता है। आज तक किसी महापुरुष न यह नहीं कहा कि उनके मरने के बाद भी बिना विचारे ही उनके विचारों को माना जाए क्योंकि यदि ऐसा ही मान्य सिद्धांत रहा होता तो यह बात कहने वाला स्वयं ही किसी पुराने सिद्धांत में कोई संशोधन नहीं कर पाता। कुछ लोग जो संगठन बनाने पर ज्यादा जोर देते हैं, वे ना तो महापुरुष होते हैं ना ही विचारक। इसलिए आपने जो लिखा वह सूचनार्थ मान्य है, प्रशंसनीय है किन्तु पालनार्थ हमें और नये स्वरूप में सोचना चाहिए। यह मानना उचित नहीं है कि श्री राम जी शर्मा ने जो विचार दिये हैं वे अंतिम हैं। इतना अवश्य है कि उनमें से बहुत से विचार अब भी पालन करने योग्य हैं और जो नहीं हैं उन्हें अब नये स्वरूप में बदलकर मानने की जरूरत है।

## 3 श्री राजन चौधरी, हैदराबाद आन्ध्र प्रदेश 500016

विचार—सिन्धु महानदी और सिन्धु घाटी सभ्यता बहुत प्राचीन है। जब सिकन्दर भारत तट पर आया तो उसने सिन्धु नदी का उच्चारण डिन्डूज किया। बाद में जब तुर्क, अरब आदि आए तो उन्होंने सिन्धु महानदी को डिन्डू दरिया वहाँ के निवासियों को भी डिन्डू, मिश्रित भाषा को डिन्दी तथा देश को हिन्दुस्तान नाम दिया। बाद में जब अंग्रेज आये तो उन्होंने सिन्धु महानदी को इण्डस रिवर, वहाँ के निवासियों को इण्डियन, देश को इण्डिया और भाषाओं को वस्ताक्यूलरस नाम दिया तथा इन्हें देश—विदेश में प्रचलित कर दिया।

बहुत देर हो चुकी है, अब तो हमें चेतना चाहिए। हमें देश को भारत, निवासियों को भारतीय तथा भाषा को भारती कहना चाहिए। इन नामों को ही देश—विदेश में पूर्ण आस्था एवं उत्साह से प्रचलित करके अपने राष्ट्रप्रेम का प्रमाण देना चाहिए।

कवि रामनरेश त्रिपाठी की ये पंक्तियाँ बड़ी प्रेरणामयी हैं—

देशप्रेम वह पुण्य क्षेत्र , अमल असीम त्याग से विचलित ।

## आत्मा के विकास से जिसमें , मनुष्यता होती है विकसित।

**समीक्षा**—आपने जो सुझाव दिया है उससे मैं सहमत हूँ। जो लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते उन्हें कम से कम इतना तो अवश्य ही करना चाहिए किन्तु जो लोग इससे बढ़कर कुछ करने की सामर्थ रखते हैं उन्हें इन छोटे छोटे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए।

कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने देश प्रेम की जो अलख जगाई वह उस समय तो ठीक थी जब भारत विदेशियों का गुलाम था। गुलामी काल में सम्पूर्ण भारत को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए देश भक्ति के लिए एक जुट होना चाहिए था। आज भारत राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र है किन्तु समाज के रूप में गुलाम। आज समाज को गुलाम बनाकर रखने वाले राजनेता तथा उनके सहायक कवि, साहित्यकार, विचारक लगातार देश प्रेम राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं जबकि आज आवश्यकता इस पाठ से मुक्त होकर समाज सशक्तिकरण की है। रामनरेश त्रिपाठी जी भी वर्तमान परिस्थिति में ऐसा ही करते या कम से कम आपका तो करना ही चाहिए।

## 4 सनील तामगाडगे : 53 राधाकृष्ण नगर हुडकेश्वर रोड नागपुर महाराष्ट्र

आपका पाक्षिक ज्ञानतत्व 1-15 अगस्त दि 5 अगस्त को प्राप्त हुआ। उसे पढ़कर मैं अपनी बात पर और भी दृढ़ हो गया कि आप बिना सोचे समझे, बिना छान बोन किए कुछ भी कहते हैं, कुछ भी लिखते हैं। क्योंकि यह साफ है कि जो कुछ भी आपने कहा वह बेबुनियाद है। जैसे कि आप कहते हैं कि डॉ अम्बेडकर को वजह से जाति प्रथा बढ रही है। क्या आपको इतना भी नहीं पता कि दुनिया के सामने और खासकर भारत में डॉ अम्बेडकर एकलौते शक्स थे जिन्होंने 1916 में कहा कि जातिप्रथा भारत को मूल समस्या है। और उसके निर्मूलन के उपाय उन्होंने 1935 के जात-पात तोडक मंडल को भेजे, अपने भाषण में बताये । पढ़िए उनकी कास्ट इन इंडिया और एनेहीलेशन ऑफ कास्ट।

अगर आज आपको जातिप्रथा का रूद्र रूप पूरी तरह से नहीं दिख रहा जो जात पंचायतों के उदाहरणों से सामने तो आ रहा है पर अभी हालत पेशवाई जैसी बदतर नहीं है। इस रूद्र रूप पर काबू किसी ने पाया है तो वह दयानंद सरस्वती या गॉंधी नहीं बल्कि डॉ अम्बेडकर है। अनका बनाया मानवतावादी संविधान है। जरा आर्टिकल 17 पढ़ें।

समता, स्वतंत्र बंधुत्व और न्याय के तत्वों को समझो जो एक साथ दुनिया के भारत छोडकर अन्य किसी भी देश के संविधान में नहीं है।

आप कहते हैं कि आर्य समाज और दयानंद सरस्वती को वजह से आपका दर्जा वैश्य से उठकर ब्राह्मण का हो गया है, लेकिन आपके बेटे अभी भी वैश्य ही हैं। कृपा करके ऐसी बात मत कोजिए और सरे आम सबके सामने तो कतई मत कोजिए। क्योंकि यह बात भारत के किसी ब्राह्मण को पता चल गई तो वह नाथूराम बनकर आपको गॉंधी जैसे ही मौत दे देगा। क्योंकि मेरा अध्ययन है कि ये विदेशी आर्य जन्मजात बराबर है। ये किसी को नहीं छोडते और किसी के नहीं होते। कृपया इस बात पर गौर करें और ब्राह्मण बनने का ढोंग छोड ही दे तो बेहतर।

आपस एक नम्र विनती है कि मानव जाति को एकता बनी रहे ऐसा करें, मानव जाति का आपसी भेद समाप्त हो ऐसा काम करें वैसा ही प्रचार भी करें। आपको मरा साप्ताहिक मिलता ही होगा। आशा है कि उसे पढ़कर आप मेरे भी मौलिक विचारों पर गौर करें उन्हें समझें और जीवन के इस अंतिम पड़ाव में जीवन में अपनाएँ।

समीक्षा — अच्छा हुआ कि आपने समय रहते सतर्क कर दिया। जिससे मेरा भी हाल गॉंधी सरीखा ना हो। आपका आभारी रहूंगा। आपने कुछ लोगों को आर्य कहा। इसका अर्थ ये हुआ कि आप स्वयं को अनार्य मानते है। जबकि मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने जीवन के प्रारंभिक काल में ही जाति प्रथा के विरुद्ध कडा संघर्ष किया है। अब मुझे डर ब्राह्मणों से तो नहीं लगता है आप जैसे से जरूर लगता है कि आप यदि स्वयं को आर्य नहीं मानते और मैं स्वयं को मानता हूँ तो पता नहीं इसका निर्णय कैसे होगा फिर भी मैं आपकी सलाह का ध्यान रखूंगा।

## खबरें इस पखवाड़े की

जुलाई के अन्तिम पखवाड़े के प्रारंभ में ही बिहार से खबर आई कि वहाँ के एक स्कूल का मध्याह्न भोजन खाकर सैकड़ों बच्चे बीमार हो गये जिसमें से तेइस मर भी गये। ऐसा लगा जैसे लालू प्रसाद तथा भाजपा के लोग किसी ऐसी घटना की प्रतीक्षा ही कर रहे हो। घटना को बारह घंटे भी नहीं बोते थे कि नगर बन्द, बिहार बन्द, तोड़फोड़, पुतला दहन और सरकारी गाड़ियों में आग लगाने का कम शुरु हो गया। ऐसा लगा जैसे सभी दलों के पास एक गुण्डा ब्रिगेड हमेशा तैयार रहती है जो किसी भी घटना के समय स्थानीय तथा कथित कार्यकर्ताओं की सहायता को पहुँच जाती है। लूटपाट आगजनी में इन गुण्डों को कुछ माल तो मिल ही जाता है। चूँकि सभी दलों की अपनी-अपनी बिग्रेड होती है इसलिए कोई भी दल इस गुण्डा बिग्रेड को रोकने के लिये कोई सार्थक पहल नहीं कर पाता।

बिहार में मौत का वास्तविक कारण वहाँ के प्राचार्य की लापरवाही थी जिसने अपने पति की दुकान से खरीदे गये तेल में या उसकी जगह सब्जी में कीटनाशक डाल दिया। दर्भाग्य से वह महिला वहाँ के लालू पार्टी के स्थानीय दबंग नेता की पत्नी थी। लालू के आक्रमण से घबराये नितिश कुमार ने बिना जाँच पूरी हुए ही उक्त नेता की प्राचार्य पत्नी पर जानबूझकर की गई हत्या का मुकदमा दायर कर दिया। संभव है कि लालू जी कुछ रुककर यह बन्द या आन्दोलन करते तो आज उनकी इतनी थू-थू नहीं होती किन्तु लालू जी संतुष्ट हैं कि कोई न तो इतना याद रखता है न ही ऐसी बातों की तह तक कोई जाता है। सच्चाई चाहे जो हो इस बात से मीडिया को भी कोई खास मतलब नहीं।

इस समय तो मीडिया नितिश विरोध का झंडा उठाये हुए है। यह भी सच है कि मीडिया सर्वाधिक प्रभावशाली है। यह भी सच है कि मीडिया ने इस कार्य को पूरी तरह व्यवसाय बना लिया है। व्यवसाय प्रचार पर अधिक निर्भर है। मीडिया के माध्यम से राजनीतिज्ञों को प्रचार-प्रसार मिलता है जिसके लिये उन्हें मीडिया के व्यावसायिक हित पूरे करने पड़ते हैं। किसी टी0 बी0 चैनल द्वारा किसी एक खबर को दबाने के लिये सौ करोड़ की सौदेबाजी तक की घटना हो चुकी है। नीतिश कुमार और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मीडिया के व्यावसायिक हित पूरे करने में सर्वाधिक कमजोर माने जाते हैं। यह भी एक कारण है कि मीडिया पूरी तरह इन दोनों के खिलाफ रहता है।

बिहार में तेइस बच्चे मरे यह सही है। घटना स्पष्टतः गंभीर लापरवाही की है जिसके लिये सम्बद्ध लोगों को गंभीर दण्ड मिलना चाहिये। किन्तु घटना ऐसी नहीं लगती कि जान बूझकर षडयंत्र पूर्वक हत्या की गई हो। फिर भी लालू नीतिश के झगड़े में इस लापरवाही को हत्या का नाम दिया गया। इसका दोष लालू को अधिक और नीतिश को कम जाता है क्योंकि लालू प्रसाद ने कुछ क्रिया की जिसकी प्रतिक्रिया में नीतिश ने ऐसा किया। लालू ऐसे-ऐसे गलत कामों को गलत नहीं मानते क्योंकि मीडिया उनके साथ है। यदि लालू जरा भी संवेदनशील होते तो इसके पूर्व एक युवक की हत्या की अफवाह पर सारे बिहार में आन्दोलन कराया गया, लूटपाट हुई, पुलिस गोली से प्रदशन कारी मरे भी घायल भी हुए और अन्त में लड़का दिल्ली में जीवित मिला किन्तु लालू या मीडिया ने कभी बिना बात टफवाह को तूल देने के लिये कभी क्षमा नहीं माँगी। लालू के इस तरह के बार-बार व्यवहार की निन्दा होनी चाहिये किन्तु न समाज में इतनी जागरूकता है न समाज की दीर्घकालिक याद दाश्त। इसी का लाभ उठाकर ऐसे लोग मीडिया को मैनेज करते हैं और बोच में पिसते हैं।

इस पखवाड़े एक और महत्वपूर्ण घटना घटी कि मंत्रिमंडल ने परिवार में महिलाओं को अधिक अधिकार देते हुए परिवारों को और अधिक टूटने की परिस्थितियाँ बना दी। यद्यपि यह कानून मंत्रिमंडल से ही बना है, संसद से नहीं। किन्तु इस चर्चा ने समाज में एक हलचल तो पैदा कर दी है। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार विवाहित स्त्री को तलाक के समय पति की आधी सम्पत्ति तथा पति की पैतृक सम्पत्ति से भी समान हिस्सा मिलेगा। कानून बनाने वालों ने यह नहीं सोचा कि पति की माँ का क्या होगा, पिता का क्या होगा परिवार के अन्य सदस्य का क्या होगा। मंत्रिमंडल के लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि यह कानून संसद से पारित नहीं हो सकेगा। किन्तु सोनिया गॉंधी की जिद्द तथा चुनावों में महिलाओं पर पड़ते प्रभाव का आकलन करके इस प्रस्ताव को पास कर दिया। मंत्रिमंडल को भी यह महसूस हुआ कि इस कानून का अगर एक अंश भी पारित हो जाता है तो भारत में विवाह होना ही बन्द हो जायेगा। लिभ इन रिलेशन शिप ही महत्वपूर्ण हो जायेगा। न परिवार बनेंगे न परिवार व्यवस्था रहेगी।

भारत में परिवार व्यवस्था न रहे इसका प्रयास स्वतंत्रता के बाद लगातार होता रहा है, परिवार व्यवस्था के पक्ष में एक मात्र संघ परिवार रहा, किन्तु उसने भी परिवार व्यवस्था के विकृत स्वरूप में संशोधन करने का कभी नहीं सोचा। मुखियों का चुनाव कैसे हो, परिवार की परिभाषा क्या हो, परिवार की सम्पत्ति में परिवार की महिला सदस्यों का क्या अधिकार हो, इस पर कभी संघ परिवारों ने भी आधुनिक तरकों से तालमेल बैठाने का प्रयास नहीं किया। दुसरी ओर हमारे कानूनों ने भी परिवार को कोई साफ व्याख्या समाज के सामने नहीं रखी। आज तक हमें पता ही नहीं है कि कानून के अनुसार परिवार का कर्ता कैसे चुना जाता है। कर्ता के क्या विशेषाधिकार होते हैं। सम्पत्ति में कर्ता की क्या भूमिका होती है आदि। पहली बार करोड़ 20 वर्ष पहले हम लोगों ने इस विषय पर लम्बा गम्भीर विचार विमर्श किया और प्राचीन तथा आधुनिक को मिलाकर परिवार को नये ढंग से परिभाषित किया। हमारे अनुसार परिवार एक पुंजाकृत इकाई होगा। जिसके प्रत्येक सदस्य को

परिवार में रहते हुए सम्पत्ति में समान अधिकार होगा। हमारे अनुसार परिवार में स्त्री या पुरुष का कोई भेद नहीं होगा और सबको समान अधिकार होंगे (सम्पत्ति में भी और संचालन में भी) मेरे विचार से मंत्रिमंडल ने जो वर्तमान प्रस्ताव करके छेड़ छाड़ की है वह इस दृष्टि से ठीक है कि इससे परिवार व्यवस्था पर एक नयी बहस छिड़ेगी तथा जैसा हम लोग सोच रहे हैं उस दिशा में कुछ बात आगे बढ़ेगी। अर्थात् यदि इन प्रस्तावों से कुछ बुरा भी होगा तो उसका अन्तिम परिणाम अच्छा निकल सकता है। फिर भी इस तरह के उलजलूल प्रस्तावों का विरोध करना चाहिए।

इसी पखवाड़े में एक सीडी जारी हुई जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी पर अन्य मंत्रियों के साथ करोंडों रुपया लेने का आरोप लगा। मुख्यमंत्री रमन सिंह हमारे उन तेरह अच्छे राजनेताओं की सूची में शामिल हैं जो हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर बनायी है। बहुत साधियों ने इस संबंध में प्रश्न पूछे कि यह कैसे हुआ और इसमें कितनी सच्चाई है। मैं नहीं कह सकता कि सी0डी0 सही है या गलत लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि देश भर में तेरह लोगों की बनायी गयी सूची में रमन सिंह का नाम होना कहीं से गलत नहीं है। मैंने जो तेरह लोगों की सूची बनाई है उसका पैमाना ईमानदारी नहीं है बल्कि सबके भिन्न-भिन्न गुणों को देखकर ही वह सूची बनी है। ईमानदारी के लिए ता उसमें सिर्फ एक नाम मनमोहन सिंह का ही रखा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार का नाम लोकतांत्रिक ढंग से प्रशासन चलाने के लिए रखा गया है। नरेन्द्र मोदी का नाम आसानी से समस्याओं का समाधान के लिए रखा गया है। इसी तरह रमन सिंह जी का नाम विपक्षियों से भो तालमेल स्थापित करके चलने वाले मुख्यमंत्री के रूप में रखा गया है। अन्य लोगों के नाम भी इसी तरह हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि ईमानदारी अथवा अन्यगुणों की पूरी तरह अनदेखी कर दी जाये, किन्तु ईमानदारी या अन्यगुणा के विषय में भारत के औसत सामाजिक स्तर से तुलना करके देखा गया है। रमन सिंह जी तथा अन्य मंत्रियों ने हो सकता है कि पैसों लिए भी हो या नहीं भी लिए हो, किन्तु यदि उन्होंने पैसे लिये भी हैं, तब भी उनका स्थान अन्य राजनेताओं की अपेक्षा अच्छा ही है। यह भी संभव है कि सी0डी0 जाली बनी हो। क्योंकि जिस देश और प्रदेश में अजित जोगी सरोखे लोग राजनीति को दौड़ में शामिल हो वहाँ इस प्रकार के षडयंत्र होना भो कोई असंभव काय नहीं है। मैं महसूस करता हूँ कि इस सी0डी0 की सच्चाई जानने का मेरे लिए कोई औचित्य नहीं है। मैं डा0 रमन सिंह को ज्यादा नजदोक से जानता हूँ, उनको प्रशासनिक योग्यता को नजदोक से देखता हूँ, तथा उनकी विरोधियों से तालमेल करके चलने की क्षमता का भी पूरी तरह जानकार हूँ।

इस पखवाड़े के एक अन्य घटना कम में बाटला हाउस इनकाउन्टर का सत्र न्यायालय द्वारा सत्य घोषित किया जाना भी एक उल्लेखनिय घटना रही। आप सब जानते हैं कि भारत के अधिकांश मुसलमान बुद्धिजिवियों ने इस घटना को फर्जी सिद्ध करने के लिए एडी से चोटी तक

जोर लगाया। वामपंथी मीडिया कर्मी भी जोर-जोर से असत्य सिद्ध करने में लगे रहे। यहाँ तक कि कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी कोई कसर बाकी नहीं रखी। ए0आर0 अन्तुले अथवा सलमान खुर्शीद सरोखे लोगो से तो कुछ और उम्मीद करना ही व्यर्थ था। क्योंकि ये तो मुसलमान भी थे। जामिया मिलिया के धर्मनिर्पेक्ष कहे जाने वाले कुलपति नुरुल हसन भी आंशिक रूप से विचलित हुए। दूसरी ओर इस घटना को सत्य कहने वालों में मुसलमान तो कोई सामने था ही नहीं। भाजपा वाले वैसे ही समाज में विश्वसनीय नहीं रह गये हैं। मीडिया भी दिग्विजय सिंह सरोखे लोगो की बातों को अधिक उछाल रहा था तथा हमारे सरोखे तटस्थ लोगों के पास भी कोई प्रमाण नहीं था। उम्मीद थी कि न्यायालय का निर्णय आने के बाद इन्काउन्टर को फर्जी कहने वालों का मनोबल टूटेगा और सत्य कहने वालों का बढ़ेगा, फिर भी देखा गया कि बेशर्मी को कोई शर्म नहीं होती है।

घटना में अपराधी सिद्ध सहजाद के परिवार वालों का कुछ कहना तो समझ में आने वाली बात है, उसके वकील भी बोले तो कोई गलत बात नहीं है, उसके रिश्तेदार भी कुछ सोमा तक बोल सकते हैं, उसके संगठन सीमी के लोग भी यदि बोले तो उनका बोलना कोई विशेष बात नहीं है किन्तु यदि इन सबके बाहर के मुसलमान न्यायालय के निर्णय के बाद भी यदि कुछ बोलते हैं तो ऐसे लोगो के विषय में अवश्य चिन्ता होती है। पुलिस द्वारा घोषित किसी संदेहास्पद अपराधीको तटस्थ व्यक्तिया द्वारा संदेहास्पद ही मानना चाहिए तथा तब तक उस संबंध में कोई बात नहीं कहनी चाहिए जब तक आप को स्वयं व्यक्तिगत रूप से जानकारी न हो। न्यायालय का निर्णय आने के बाद भी दिग्विजय सिंह जी ने इस घटना को इस तरह फर्जी कहना जारी रखा जैसे कि वे व्यक्तिगत रूप से स्वयं देखे हो या जानते हो। न्यायालय ने स्पष्ट लिखा है कि मोहन लाल शर्मा को सामने से छाती पर गोलियाँ लगी। न्यायालय ने यह भी लिखा है कि सहजाद उस दिन जिस टेन से भागा उस टेन का टिकट उसके नाम से प्रमाणित हो गया है, अन्य कई सबूत भी दिए गए हैं। इसके बाद भी दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सहजाद वहाँ नहीं था और मोहन लाल शर्मा को गोली पोछे से लगी। ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह को यह बताने वाले या तो उनकी नजर में बिल्कुल ही सत्यवादी हरिशचन्द्र हो अथवा उनके पक्ष में बोलने से दिग्विजय सिंह के दल को वोटो का बहुत बड़ा लाभ होने वाला हो। दिग्विजय सिंह के कथन में क्या रणनीति है यह मुझे नहीं पता लेकिन बार-बार एसी बातें बोलने से उनकी विश्वसनीयता जो पहले ही शून्यवत है अब तो लगातार शून्य से भी नीचे जा रही है। मेरा तो सुझाव है, कि ऐसे संवेदनशील मामलों में मुसलमानों को भी कुछसोच कर बोलना चाहिए तथा दिग्विजय सिंह को तो मैं क्या सलाह दे सकता हूँ।

एक और घटनाक्रम में इस पखवाड़े आंध्रप्रदेश का विभाजन करते हुए, तेलंगाना नाम से नया प्रदेश बनाने की स्वीकृति पर मोहर लगी। स्वाभाविक है यह निर्णय प्रशासनिक या आर्थिक दृष्टि से न होकर राजनैतिक लाभ हानि को ध्यान में रखकर किया गया। अब तेलंगाना से कांग्रेस को दस बारह सांसद बढ़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व था ही नहीं। वह तेलंगाना का समर्थन करके कुछ थोड़ा लाभ पाने के चक्कर में थी अन्यथा 2004 के पूर्व जब अटल जी की सरकार थी तब भाजपा ने इस प्रस्ताव को न सिर्फ टुकराया था बल्कि इसका विरोध भी किया था।

#### आश्रमों पर बढ़ते बलात्कार के आरोप

आर्य तीन प्रकार के होते हैं पहला वे जिन्हें मनुष्य को करना चाहिए। दूसरे वे जिन्हें मनुष्य को नहीं करना चाहिए। तीसरे वे जिन्हें मनुष्य को नहीं करने दिया जायेगा। पहले प्रकार के कार्य सामाजिक कार्यों के रूप में माने जाते हैं। दूसरे प्रकार के कार्य असामाजिक की श्रेणी में आते हैं। तीसरे प्रकार के कार्य समाज विरोधी माने जाते हैं। पहले प्रकार के कार्यों को उत्तम कहा जाता है दूसरे प्रकार के कार्य अनैतिक कहे जाते हैं तथा तीसरे प्रकार के कार्यों को अपराध कहा जाता है।

नवीनतम घटना क्रम में आशाराम बापु की चर्चा समाज में आयी है जिसके अनुसार उन्होंने सोल्लह वर्ष की लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का प्रयास किया। यह घटना सच है या झूठ यह जाँच का शिष्य है किन्तु आमतौर पर साधु शंतो द्वारा गुप्त रूप से ऐसा करने का विश्वास है। काम वासना मनुष्य की प्रकृतिक भूख है; इसे विरलय लोग ही पूरी तरह रोक पाते हैं। यही बात साधु शंतो पर भी लागू होती है उनमें भी अपवाद स्वरूप लोग ही स्वयं को रोक पाते हैं। अन्यथा भारी नैतिक दबाव के बाद भी ये कोई न कोई मार्ग निकाल लते हैं। यद्यपि ऐसे मार्ग में बलात्कार सामिल नहीं होता है तथा बलात्कार की प्रकरण शायद ही कभी सुनने को मिलती हो।

प्राचिन समय में भी आश्रमों में ऐसा होने की बातें सुनने में आती रही हैं। राजा दशरथ के पुत्रों के गर्भाधान की बात हो अथवा कुन्ति के गर्भ धारण की बात हो अथवा ईशु मशीह के जन्म की खोज की जाय कही न कही ऐसे धर्म स्थानों पर उगली जाकर टिकती हैं। ये धर्म स्थान अथवा आश्रम वेश्यालय के समान उपयोग में नहीं आते थे। जहाँ कोई भी स्त्री पुरुष अनावश्यक होते हुए भी अपना वासनाओं की पूर्ती के लिए इनका उपयोग करता है। ये धर्म स्थान सिर्फ महिलाओं के लिए ही सुरक्षित होते थे। जहाँ या तो विधवाये गुप्त रूप से अपनी भूख मिटा लेती थी अथवा वे महिलाएँ वहाँ जाने का प्रयास करती थी जिनके पति संतान पैदा करने अक्षम होते थे अथवा यदा कदा ऐसी महिलाएँ भी इनका उपयोग कर लेती थी जो अपने पति से अतृप्त रहती थी। ये महिलाएँ ऐसे धर्म स्थानों में बेरोक टोक आती जाती थी क्योंकि किसी तरह की रोक टोक संदेह का वातावरण पैदा कर सकती थी। ऐसे स्थान धार्मिक आवरण भी ओढ़े रहते थे। जिससे यह व्यवस्था व्यभिचार या व्यवसाय का रूप न ले ले। यही कारण है कि यदा कदा ऐसी बातें सुनने के बाद भी दबा दी जाती थी अथवा अनसुनी कर दी जाती थी। आशाराम बापु की घटना पर विचार करे तो विश्वास नहीं होता की आशाराम बापु ने बलात्कार करने की भूल कि होगी। संभव है कि बापु भी अनेक शंतो की तरह अपनी भूख मिटाने के लिए ऐसे कुछ उपाय करते हो लेकिन बिना सहमति के दबाव डाल कर ऐसा कृत्य करना विश्वसनीय नहीं लगता। यह अवश्य लगता है कि उक्त लड़की सहमत नहीं हुयी होगी और उसे सहमत करने के लिए बापु ने हल्का फुल्का दबाव बनाने की भूल कर दी हो। सच्चाई क्या है यह तो वह लड़की और बापु ही बता सकते हैं। या जाँच के बाद सच्चाई सामने आ सकती है। किन्तु इतना अवश्य लगता है कि उस लड़की को आशाराम बापु के आचरण पर पहले से कुछ जानकारी रही होगी तभी वह

उनके पास जाने से कतरा रही थी। आशाराम बापु का कार्य चाहे अपराध की श्रेणी तक पहुँचा हो या न पहुँचा हो किन्तु वह अनैतिक तो था ही क्योंकि बिना किसी महिला की तरफ से मॉग आये उसके साथ ऐसे आचरण का प्रयत्न करना आश्रमों की गुप्त परम्परा के विपरित है।

पिछले दिनों ही ऐसी चर्चाएँ भगवान रजनीश के बारे में भी सुनने को मिलती रही हैं शीरसा वाले बाबा राम रहोम के विषय में यदा कदा ऐसी बातें सुनने जाती को मिल है बाबा रामदेव के विषय में भी ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं संभव है ये बातें असत्य भी हो किन्तु यदि सत्य भी हो तो जब तक वे बलात्कार की रेखा को नहीं छूती तब तक इनकी चर्चा करना अर्थ हीन है। समाज में ऐसे भी अनेक संगठन हैं जो अपने विशेष कार्यकर्ताओं को इस संबंध में कठोरता से अनुशासित रखने का प्रयास करते हैं ऐसे संगठनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अथवा कैथोलिक चर्चाओं को विश्वसनीय स्थान प्राप्त है। किन्तु धिरे धिरे ऐसे संगठनों में ऐसी गुप्त बातें प्रकाश में आने लगी हैं। मध्यप्रदेश के एक मंत्री का मामला तो खुलेआम उजागर हो गया। उनका मामला भी किसी तरह अपराध नहीं था। सिर्फ उसे अनैतिक कार्य की श्रेणी में रखा जा सकता है किन्तु राजनैतिक कारणों से इस मामले को बहुत अधिक गंभीर बना दिया गया अनेक चर्चों के पादरीयों कि भी बातें प्रकाशित हो चुकी हैं दोनों ही संगठन चिंतित हैं जब तक ये बातें गुप्त थीं तब तक कोई चिंता की बात नहीं थी। किन्तु प्रकाश में आने के बाद ये बातें बहुत अधिक नुकसान करती हैं। सब समझते हैं कि ये कार्य मानवीय आवश्यकता के अर्न्तगत आते हैं। जिनसे बचना चाहिए अथवा कम से कम प्रकाश में आने की सतर्कता तो अवश्य बर्तनी चाहिए। फिर भी या तो भूल वश अथवा राजनैतिक प्रतिस्पर्धा के कारण ऐसी बातों को तिल का ताड़ बना दिया जाता है सब जानते हैं कि राघव जी की सी० डी० राजनैतिक प्रतिस्पर्धा के कारण बनी। सी० डी० को आवश्यकता से अधिक प्रचारीत करने में भी राजनैतिक कारण रहे। चर्चों के विषय में भी जो बात का बतंगण बना वह कही न कही धार्मिक प्रतिस्पर्धा के साथ जुड़ता है अन्यथा आम तौर पर समाज ऐसे मामलों को उछालने से परहेज करता है। आशाराम बापू का मामला अधिक जोर से उछालने का कारण राजनैतिक प्रतिस्पर्धा ही है। वैसे आशाराम बापू अन्य अनेक मामलों में दूसरों की स्वस्थ आलोचना भी नहीं सुन पाते हैं। थोड़ी सी आलोचना में ही भक्तों को हिंसक हो जाने की सलाह देना उनकी आम आदत है ऐसी आदत भी कोई अच्छी बात नहीं है फिर भी हम तो यही कह सकते हैं कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है अच्छे बुरे का परिणाम वे स्वयं भोगेंगे।

मैं स्पष्ट हूँ कि हर अपराधी चाहता है कि अनैतिक कार्यों को भी अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाय। ऐसा होने से अपराधी समाज में अलग थलग नहीं दिखेगा। सरकार भी चाहती है कि अनैतिक कार्यों को अपराध घोषित कर दिया जाय जिससे उसकी सक्रियता बनी रहे। यह तो हम आप सब का कर्तव्य है कि हम अनैतिक और अपराध को एक साथ न जुड़ने दें। यदि दोनों एक साथ जुड़े तो एक दो प्रतिशत अपवाद स्वरूप लोगों को छोड़कर बाकी सब कही न कही इसकी चपेट में आजाएँगे और जब सभी चेहरे दिखने लगेंगे तो अपराधियों के लिए यह बहुत अच्छा अवसर होगा आवश्यकता है कि हम समाज में अनैतिक और अपराध का अलग अलग वर्गिकरण करने की आदत डालें। अच्छा होगा यदि हम किसी अन्य के ऐसे अनैतिक कार्य कि चर्चा करने की परहेज करें जो कहां न कही हम स्वयं करते हो और हमारी सतर्कता और चालाकी के कारण वह अब तक प्रकाश में न आया हो। हो सकता है कि हमारी छाटी सी असावधानी आशाराम बापू के समान ही हमारे जीवन भर के सम्मान को कलंकित कर दें।

इस संबंध में कानूनों की समीक्षा भी करनी आवश्यक है। राघव जी कार्य किसी भी रूप में अपराध की श्रेणी में नहीं आता। यदि वह घटना सच भी हो तब भी वह अनैतिक ही थी, अपराध नहीं। आनावश्यक अपराध घोषित कर रखा है। अन्य अनेक आश्रमों के विषय में भी किये जाने वाले प्रचार का भी यही हाल है। कि वे घटनाएँ अनैतिक होती हैं, अपराध नहीं। आशा राम बापू की घटना में यदि थोड़ा भी बल प्रयोग हुआ तब तो अपराध हो सकता है। अन्यथा उसे भी अनैतिक ही मानना पड़ेगा। यदि ऐसे मामलों में लोभ लालच भी दिया गया हो तब भी उसे अनैतिक ही मानना चाहिये क्योंकि सामाजिक दृष्टि से ऐसे मामलों में बारह से उपर को बालिग मान लिया जाता है। किन्तु बल प्रयोग किसी भी रूप में क्षम्य नहीं हो सकता चाहे वह किसी भी बड़े से बड़े सन्त द्वारा ही क्यों न किया गया हो। समाज का कर्तव्य है कि वह अनैतिक और अपराध को अलग-अलग समझना 'शुरू करें'। इन सन्तों का भी कर्तव्य है कि वे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रत्यक्ष विवाह को अधिक उपयोग करने की आदत डालें जिससे उनके समक्ष ऐसे संकट न पैदा हो।